किया। पत्रावली [illegible]
6/11/25 को पेश हो।

6/11/25 पत्रावली पेश हुई जार एसोसिएशन ने कन्डोलेन्स [illegible] स्थगन [illegible] बदन किया। प[illegible] दिनांक 12/12/25 को पेश हो।

12/12/25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.पीठासीन अधिकारी महोदय राजकी[illegible] से बाहर बघारे है पत्रावली दिनांक 23/1/26 को पेश हो

23/1/26 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उप.पीठासीन अधिकारी महोदय राजकीय कार्य से बाहर बघारे है पत्रावली दिनांक 13/3/26 को पेश हो।

13/3/26 वकील प्रार्थी उप. अप्रार्थी नं. 1 to 5 की U.T मूल वाद में दी गई है जवाब पुरफा देने अपर बाध है जो न्यायालय में किया जाता है। मिजल वार्ता बजाय तलबी दिनांक 15/5/26 को पेश है।

15/5/26: पत्रावली पेश हुई। वकुलाय गैर हाजिर। प्रकरण में आवाजे लगवाई गई। परन्तु कोई पत्रकार। अधिवक्ता उप. नहीं आये। अतः न्यायहित हाजा लम्बी प्रोसेडिंग का होने तथा प्रकरण में तलबी नहीं होने तथा ना ही उप. होने पर प्रकरण अक्षम हाजरी + अक्षम पैरवी + अक्षम तकमील में खारिज किया जाता है। मिजल अपने नफा/नुकसान से कप होकर वापिस दफ्तर है।

उपखण्ड अधिकारी
नावां (डीडवाना-कुचामन)